ओम प्रकाश धाकड़ बनाम् श्री गोविन्द शर्मा वगैरा।
(एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या-198 /2005)
अन्तर्गत
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 6499/2002)

28.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्रीमती मन्जु जोशी, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री आर.एस.राठौड़, अति. महाधिवक्ता वास्ते कन्टेमनरस्।

सुना गया। एकलपीठ द्वारा पारित आदेश खण्डपीठ द्वारा स्थगित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में इस प्रक्रम पर इस अवमानना याचिका जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अत: इस प्रक्रम पर यह अवमानना याचिका निरस्त की जाती है तथा प्रतिपक्षी/कन्टेमनरस को जारी अवमानना के नोटिस उन्मोचित किए जाते हैं।

(न्या0 शिव कुमार शर्मा)